मानव संसाधन विकास मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की दिनांक 4 जून, 2012 को राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, विहार सरोवर, नीटी, मुंबई में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

मानव संसाधन विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन 4 जून, 2012 को नीटी, मुम्बई में किया गया। बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची अनुलग्नक-I पर है।

2. राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान (नीटी) के निदेशक डॉ0 अमिताभ डे द्वारा माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी और समिति के सभी गैर-सरकारी तथा सरकारी सदस्यों का स्वागत किया गया। अपने स्वागत भाषण में संस्थान के निदेशक ने उल्लेख किया कि मंत्रालय से प्राप्त मार्ग-दर्शन के परिणामस्वरूप संस्थान ने दो बार इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार प्राप्त किया। उन्होंने संस्थान के कार्य-कलापों के बारे में एक पावर पॉइंट प्रस्तुति दी।

3. इसके पश्चात् समिति के सदस्य सचिव, संयुक्त सचिव (केविवि एवं भाषाएं) ने माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री एवं समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि यह बैठक जुलाई, 2010 के बाद हो रही है, कुछ कारणों से पिछले वर्ष यह नहीं हो पाई थी। उपस्थित सभी आमंत्रितों का स्वागत करते हुए उन्होंने माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी से अनुरोध किया कि वे अपने सम्बोधन से उपस्थित सदस्यों एवं अधिकारियों का मार्गदर्शन करने का कष्ट करें।

4. माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने अपने सम्बोधन में कहा कि किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षा एक उपयोगी संसाधन है। शिक्षा प्रदान करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है, इसी लिए शिक्षा के साथ-साथ भाषा का विकास भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हमारा देश बहु-भाषी है इस लिए यहाँ एक सम्पर्क भाषा होना बहुत आवश्यक है और निःसंदेह देश की सम्पर्क भाषा हिन्दी ही हो सकती है। उन्होंने कहा कि, उन्हें स्वयं हिन्दी अच्छी तरह से आती है, परन्तु सरकारी कामकाज में उपयोग में लाई जा रही हिन्दी काफी कठिन है जिसे समझने में उन्हें भी दिक्कत आती है। उन्होंने अपील की कि हिन्दी को गांधी जी के हिन्दुस्तानी कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि इस बैठक को आयोजित करने में लगभग दो वर्ष का विलम्ब हुआ है, परंतु मंत्रालय की प्रतिबद्धता में कोई कमी नहीं आई है। इस अवधि के दौरान 17 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में हिन्दी विभाग स्थापित किए गए हैं। राजभाषा नियम 10 (4) के अंतर्गत मंत्रालय के 28 कार्यालयों, 63 केन्द्रीय विद्यालयों तथा 2 जवाहर नवोदय विद्यालयों को हिन्दी में काम करने के लिए अधिसूचित किया गया है। 18 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में हिन्दी अधिकारी, हिन्दी अनुवादक तथा हिन्दी टंकक के एक-एक पद सृजित

किए गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समिति के सदस्य पद्मश्री डॉ. वाई. लक्ष्मी प्रसाद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय राजभाषा समिति गठित की गई है जिसने 17 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का राजभाषा निरीक्षण कर उनका मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि इस बैठक के लिए समिति के सदस्यों से प्राप्त सुझावों पर गंभीरतापूर्वक कार्रवाई की गई है। इस बैठक में जो भी सुझाव प्राप्त होंगे उन पर मुस्तैदी से अमल किया जाएगा।

माननीय मंत्री जी ने यह भी आदेश दिया कि अगली बैठक 6 माह के भीतर दक्षिण भारत के किसी राज्य में आयोजित की जाए।

(कार्रवाई : राजभाषा प्रभाग)

5. समिति के सदस्य सचिव, संयुक्त सचिव (केविवि एवं भाषाएं) ने सूचित किया कि मंत्रालय द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। इसके लेख, रचनाएँ मंत्रालय तथा इसके अंतर्गत आने वाले कार्यालयों, संस्थानों के कर्मचारियों द्वारा लिखे गए हैं। उन्होंने मंत्री जी से अनुरोध किया कि वे मंत्रालय की वार्षिक पत्रिका 'शिक्षायण' का विमोचन करने का कष्ट करें। माननीय मंत्री जी द्वारा पत्रिका के विमोचन के बाद बैठक की कार्रवाई आरम्भ करते हुए सदस्य सचिव ने सूचित किया कि 9 जुलाई, 2010 को आयोजित बैठक के कार्यवृत सभी माननीय सदस्यों को परिचालित किए गए थे। किसी भी सदस्य की कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। अतः समिति अनुमति दे तो इसकी पुष्टि की जा सकती है। सदस्यों द्वारा कार्यवृत की पुष्टि की गई।

6. इसके पश्चात् सदस्य सचिव ने मंत्रालय द्वारा किए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया जिसका सारांश निम्नवत् है :-

- राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है;
- हिन्दी में पत्राचार का प्रतिशत 'क' क्षेत्र में 57%, 'ख' क्षेत्र में 52% और 'ग' क्षेत्र में 43% है;
- हिन्दी टंकण के लिए मंत्रालय में कोई भी टंकक प्रशिक्षण के लिए शेष नहीं है;
- मंत्रालय के 63 आशुलिपिकों में से 9 आशुलिपिक हिन्दी आशुलिपि जानते हैं, 6 आशुलिपिकों को अगले सत्र में प्रशिक्षित किया जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ है कि मंत्रालय में जो प्रशिक्षित थे उनका स्थानान्तरण दूसरे मंत्रालयों में हो गया है;
- राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें मंत्रालय में नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं;
- गत वर्ष दो हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गई;
- राजभाषा विषयक तिमाही प्रगति रिपोर्ट समय पर राजभाषा विभाग को भेजी जाती है;

- पिछले वर्ष 45 कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण किया गया, जो निर्धारित लक्ष्य से अधिक है;
- मंत्रालय के सभी कम्प्यूटरों में हिन्दी फोन्ट उपलब्ध है;
- हिन्दी पखवाड़े के दौरान आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं की पुरस्कार राशि बढ़ाई गई है;
- राजभाषा संगोष्ठी प्रत्येक वर्ष आयोजित की जा रही है। अगली संगोष्ठी संसद का मॉनसून सत्र खत्म होने के पश्चात् दक्षिण भारत में आयोजित की जाएगी; और
- मंत्रालय के प्रवेश द्वार के समीप प्रति-दिन हिन्दी-अंग्रेजी का एक शब्द लिख कर लगाया जाता है।

7. मंत्रालय द्वारा राजभाषा के संबंध में किए गए कार्यों का संक्षिप्त विवरण देने के पश्चात् उन्होंने समिति के माननीय सदस्यों से अनुरोध किया कि कार्यसूची में शामिल विषयों के सम्बन्ध में वे अपने सुझाव दें ताकि मंत्रालय उन पर अमल कर हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने की दिशा में सार्थक पहल कर सके।

8. समिति के सदस्य डॉO श्री वाई. लक्ष्मी प्रसाद ने उल्लेख किया कि उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित उच्च स्तरीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। उन्होंने कहा कि यद्यपि आयोग के अध्यक्ष के साथ 15 जून, 2012 को निश्चित हुई बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी तथापि वे निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे :-

i. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में हिन्दी सेल तथा हिन्दी पद नहीं है। अतः आयोग में हिन्दी सेल की स्थापना की जाए;

ii. प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में केन्द्रीय हिन्दी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार हिन्दीतर राज्यों के हर एक विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग खोले जाएं;

iii. हिन्दी राज्यों के ऐसे डीम्ड विश्वविद्यालयों में, जिन्हें एम.एच.आर.डी. तथा नैक द्वारा 'ए' ग्रेड दिया गया है, हिन्दी विभाग खोले जाएं;

(कार्रवाई : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग)

iv. सितम्बर, 2012 में जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किए जा रहे विश्व हिन्दी सम्मेलन में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सक्रिय सहभागिता हो।

(कार्रवाई : राजभाषा प्रभाग)

v. भारत सरकार के कार्यालयों/संस्थानों द्वारा हिन्दी में प्रकाशित वैज्ञानिक पुस्तकें, भारत सरकार के सभी विश्वविद्यालयों और संस्थानों में उपलब्ध होनी चाहिए।

(कार्रवाई : भाषा प्रभाग)

9. समिति के सदस्य डॉ0 श्री महेश चन्द्र गुप्त ने कार्यसूची में विस्तार से पूरी सूचनाएँ देने के लिए संयुक्त सचिव (केविवि एवं भाषाएं) एवं राजभाषा प्रभाग को बधाई देते हुए निम्नलिखित सुझाव दिए :-

i. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में हिन्दी में बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। कम्प्यूटरों में हिन्दी सॉफ्टवेयर नहीं है, हिन्दी में पत्राचार नहीं हो रहा है, सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिन्दी में नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि अगली बैठक में इस विश्वविद्यालय के कुलपति को जरूर बुलाया जाए;

(कार्रवाई : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, राजभाषा प्रभाग)

ii. इग्नू की तरह ही महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, वर्धा उत्तर-पूर्वांचल तथा दक्षिण भारत में दो-दो केन्द्र और अन्य क्षेत्रों में भी सुविधानुसार कुलपति महोदय जैसा उचित समझें, केन्द्र खोले जाएं;

(कार्रवाई : महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा)

iii. देश में बोली जाने वाली विभिन्न बोलियों को जिनकी अपनी लिपि नहीं हैं, देवनागरी में लिपिबद्ध किया जाए। यह जिम्मेदारी केन्द्रीय हिन्दी संस्थान अथवा केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय को दी जा सकती है;

(कार्रवाई : भाषा प्रभाग)

iv. केन्द्रीय हिन्दी संस्थान द्वारा प्रकाशित 'समन्वय पूर्वोत्तर' पत्रिका में अन्य प्रदेशों के साथ-साथ पूर्वोत्तर के राज्यों के कवियों/लेखकों के बारे में विशेष जानकारी दी जाए;

(कार्रवाई : केन्द्रीय हिन्दी संस्थान)

v. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं को दी जाने वाले अनुदान राशि में वृद्धि की जाए;

(कार्रवाई : केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय)

vi. स्वैच्छिक संस्थाओं में कार्यरत हिन्दी प्राध्यापकों को दी जाने वाली पारिश्रमिक राशि में पर्याप्त वृद्धि की जाए। वर्तमान में दी जा रही राशि बहुत कम है। कुशल नहीं तो कम से कम अकुशल कारीगर के बराबर पारिश्रमिक तो दें;

(कार्रवाई : केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय)

vii. चिकित्सा शिक्षा हिन्दी माध्यम से दी जाए;

(कार्रवाई : काशी हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय एवं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय)

viii. जिन विश्वविद्यालयों में हिन्दी माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, वहाँ विशेष अनुदान अथवा विशेष छात्रवृति जैसे वैकल्पिक प्रबंध किए जाएं;

(कार्रवाई : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग)

ix. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा जितनी भी सैंक्शन (मंजूरी पत्र) जारी की जाती हैं, उन्हें हिन्दी में जारी किया जाए, उनकी मान्यता सम्बन्धी आदेश हिन्दी में जारी किये जाऐं;

(कार्रवाई : अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्)

x. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूप रेखा में शिक्षा के माध्यम के बारे में दिए गए निर्देश स्पष्ट नहीं है। इन्हें तैयार करते समय केन्द्रीय हिन्दी समिति के निर्णय एवं महामहिम राष्ट्रपति जी के आदेश के अनुसार कार्रवाई की जाए;

(कार्रवाई : स्कूल प्रभाग)

xi. दिल्ली विश्वविद्यालय की तरह सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालयों की स्थापना की जाए, ताकि विभिन्न विषयों की पुस्तकें हिन्दी में उपलब्ध हो सकें। इसके लिए विश्वविद्यालयों को लक्ष्य दिए जाएं कि एम.एस.सी, बी.एस.सी स्तर तक के सभी पाठ्यक्रमों की पुस्तकें मौलिक रूप से हिन्दी में लिखी जायें। इसमें समय लगेगा। अतः इस अवधि में पाठ्य पुस्तकों के हिन्दी अनुवाद की व्यवस्था की जाए ताकि विद्यार्थी हिन्दी माध्यम से अपनी पढ़ाई पूरी कर सके।

(कार्रवाई : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग)

xii. यू.जी.सी. से सम्बन्धित मुद्दों पर यहां चर्चा नहीं की जा रही जबकि यू.जी.सी. में भी बहुत खामियों है। यू.जी.सी. की उच्च स्तरीय राजभाषा हिन्दी कार्यान्वयन

समिति के अध्यक्ष, समिति के माननीय सदस्य श्री वाई. लक्ष्मी प्रसाद जी से इन विषयों पर अलग से चर्चा कर लूँगा।

xiii. प्रमाण-पत्र में विद्यार्थियों के नाम इंगलिश-हिन्दी दोनों भाषाओं में छपवाए जाएं। उन्होंने कहा कि जब रेलवे द्वारा सवा लाख आरक्षण चार्ट दोनों भाषाओं से तैयार किए जा सकते हैं, तो प्रमाण-पत्रों के लिए भी यही प्रणाली उपयोग में लाई जाए;

(कार्रवाई : केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड)

xiv. हिन्दीतर भाषी राज्यों में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग हेतु एक प्रभावशाली रणनीति बनाई जाए, जिससे किसी भी प्रदेश को ऐसा प्रतीत न हो कि उन पर बलात् हिंदी थोपी जा रही है। मणिपुर से 'युमशकैश' के नाम से प्रकाशित हो रही पत्रिका में अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी को लोकप्रिय बनाने के लिए 11 सुझाव दिए गए हैं, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान को ये सभी सुझाव लागू करने चाहिए;

(कार्रवाई : केन्द्रीय हिन्दी संस्थान)

xv. भोजपुरी एवं अवधी जैसी स्थानीय बोलियों को अलग भाषाओं के रूप में नहीं लिया जाए, बल्कि इन्हें हिन्दी भाषा के अंतर्गत ही वर्गीकृत किया जाए।

(कार्रवाई : भाषा प्रभाग)

xvi. भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, संस्थानों द्वारा हिन्दी में प्रकाशित की जाने वाली वैज्ञानिक पत्रिकाएं, जैसे विज्ञान गंगा, मानव जीवन, कोशिका से कोशिका तक, शरीर एक समर भूमि, सागर से सम्पदा, सितारों का संसार आदि प्रत्येक विद्यालय के पुस्तकालय में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए;

(कार्रवाई :स्कूल प्रभाग, यू.टी. प्रभाग)

xvii. एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकों में कविता, कहानियों के साथ-साथ वैज्ञानिक पाठ शामिल किए जाएं। भाषा की सरलता और बोधगम्यता की दृष्टि से हिन्दी माध्यम की विज्ञान पुस्तकों का एक बार पुनर्निरीक्षण कर लिया जाए।

(कार्रवाई : राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्)

10. समिति के सदस्य श्री सैय्यद हामिद अली ने कहा कि :-

i. नए कम्प्यूटर खरीदते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि उनमें यूनिकोड सिस्टम से हिन्दी में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध है;

(कार्रवाई : प्रशासन प्रभाग, सभी कार्यालय)

ii. अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कार्यशाला आयोजित करते समय कम-से-कम एक दिन कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए रखा जाए जिसमें यूनिकोड प्रणाली से काम करने की जानकारी दी जाए। इस बारे में राजभाषा विभाग के विशेषज्ञों की मदद ली जाए;

(कार्रवाई : राजभाषा प्रभाग/सभी कार्यालय)

iii. स्कूलों में 10वीं कक्षा तक हिन्दी एक अनिवार्य विषय होता है। अंग्रेज़ी माध्यम के पब्लिक स्कूलों में 11वीं व 12वीं में विद्यार्थी हिन्दी छोड़ देते हैं लेकिन कॉलेज में अनिवार्यत: एक विषय के रूप में हिन्दी पढ़नी पड़ती है और तब विद्यार्थियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए 12वीं तक हिन्दी को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाए;

(कार्रवाई : स्कूल प्रभाग)

iv. मंत्रालय द्वारा आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलनों में हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों को आमंत्रित किया जाए;

(कार्रवाई : राजभाषा प्रभाग)

v. मंत्रालय द्वारा आयोजित वार्षिक राष्ट्रीय राजभाषा सम्मेलन क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित किए जाएं।

(कार्रवाई : राजभाषा प्रभाग)

vi. दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्तर्गत जितने भी कॉलेज हैं उनके कोई भी फॉर्म, प्रोसपेक्टस हिन्दी में नहीं है। अधिकतर कॉलेजों की वेबसाईट अंग्रेज़ी में है। इस समस्या के निदान के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की जाए, सभी कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को उसका सदस्य बनाया जाए;

(कार्रवाई : दिल्ली विश्वविद्यालय)

vii. मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों को पर्यवेक्षक के रूप में मनोनीत किया जाए; और

(कार्रवाई : राजभाषा प्रभाग)

viii. मदरसों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाए।

(कार्रवाई : प्रारंभिक शिक्षा-11 प्रभाग)

11. समिति के सदस्य डॉ. श्री राम प्रकाश शर्मा ने माननीय मंत्री जी द्वारा भाषा एवं शिक्षा के क्षेत्र में किए गए समर्पित प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि:-

i. देश में उच्च कोटि के शिक्षा संस्थान हैं। यदि प्रत्येक वर्ष एनआईटी, आईआईटी को 6 महीने या 1 साल के अन्तर्गत इन्जीनियरिंग के एक-एक पाठ्यक्रम के लिए हिन्दी की पुस्तकें तैयार करने का दायित्व सौंप दिया जाए तो दो-तीन साल के भीतर पूरे देश में तकनीकी शिक्षा की पाठ्यपुस्तकें हिन्दी में उपलब्ध हो सकेंगी;

(कार्रवाई : अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद)

ii. केन्द्रीय विद्यालयों में हिन्दी अधिकारियों की नियुक्ति की जाए;

(कार्रवाई : केन्द्रीय विद्यालय संगठन)

iii. केन्द्रीय विद्यालय संगठन में छठे वेतन आयोग के लाभ दिए जाएं; और

(कार्रवाई : यू.टी. प्रभाग)

iv विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित उच्च स्तरीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति में हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों को बारी-बारी से सम्मिलित किया जाए।

(कार्रवाई : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग)

12. समिति के सदस्य सुश्री निर्मला जैन का कहना था कि बैठक में अत्यंत बहुमूल्य सुझाव दिए गए हैं तथापि वे भी निम्नलिखित सुझाव देना चाहेंगी :-

i. दिल्ली विश्वविद्यालय में बी.ए. प्रोग्राम में पहले तीन वर्ष हिन्दी पढ़ाई जाती थी जिसे अब दो वर्ष कर दिया गया है, इस पर कार्रवाई करें;

(कार्रवाई : दिल्ली विश्वविद्यालय)

ii. अलीगढ़ विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग सम्बन्धी सभी सूचनाएं अंग्रेजी में प्रसारित होती हैं, इस ओर ध्यान दिया जाए;

(कार्रवाई : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय)

iii. उक्त विश्वविद्यालय में हिन्दी कार्यान्वयन विभाग बनाया जाए;

(कार्रवाई : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय)

iv. विश्वविद्यालय में हिन्दी कार्यान्वयन निदेशालय की स्थापना करते समय उनके कार्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए। यह भी देखा जाए कि उनके कर्तव्य क्या हैं, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं और सभी विश्वविद्यालय समन्वय से कार्य करें ताकि दूहराव न हो;

(कार्रवाई : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग)

v. कार्यालय में सरल एवं सुबोध भाषा का प्रयोग किया जाए; और

(कार्रवाई : मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालय)

vi. इस बात का आकलन किया जाए कि प्रश्न पत्र हिन्दी में उपलब्ध होने तथा उनका उत्तर हिन्दी में देने का विकल्प होने के बावजूद कितने बच्चों ने हिन्दी में जवाब दिए। इसे व्यापक संदर्भ में देखा जाए कि आज बाजार में क्या मांग है ? बच्चा क्या चाहता है ?

(कार्रवाई : कैंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद)

13. समिति के सदस्य श्री अनन्त राम त्रिपाठी का कहना था कि :-

i. विद्यालयों में हिन्दी के साथ-साथ दूसरा वैकल्पिक विषय न रखा जाए, जिससे कि बच्चे हिन्दी का अध्ययन करते रहें;

(कार्रवाई : स्कूल प्रभाग)

ii. स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं के शिक्षकों की पारिश्रमिक राशि में वृद्धि की जाए;

(कार्रवाई : केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय)

iii. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय पूर्णकालिक और अंशकालिक महाविद्यालयों में अंतर करे;

(कार्रवाई : केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय)

iv. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा स्वैच्छिक संस्थानों का निरीक्षण किया जाए, इससे कार्य की गुणवत्ता में वृद्धि होगी; और

(कार्रवाई : केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय)

v. राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का छात्रावास अत्यंत पुराना है। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय इस कार्य में मदद करे।

(कार्रवाई : केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय)

14. विशेष आमंत्रिती श्री अशोक चक्रधर, उपाध्यक्ष, हिन्दी शिक्षण मंडल ने सर्वप्रथम विशेष रूप से उन्हें बैठक में आमंत्रित करने के लिए अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद किया एवं कहा कि :-

i. हिन्दी को वैकल्पिक भाषा नहीं बनाना चाहिए, उसको सिखाने के विकल्प बढ़ाए जाने चाहिए;
ii. अधिकारीवृंद द्वारा अधिकाधिक कार्य हिन्दी में किया जाए;
iii. कम्प्यूटर का उपयोग हिन्दी कार्य के लिए किया जाए। इसके लिए प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है;
iv. गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग प्रौद्योगिकी के माध्यम से हिन्दी को विकसित करे; और
v. सी-डेक कम्पनी के सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रवीण, प्रबोध, प्राज्ञ के प्रशिक्षण दें ताकि हिन्दी जन सामान्य की भाषा बन सके।

15. माननीय मंत्री जी ने कहा कि सभी सदस्यों से जो बहुमूल्य सुझाव प्राप्त हुए हैं, उन पर गंभीरतापूर्वक कार्रवाई की जाएगी। अगली बैठक दक्षिण भारत में आयोजित की जाएगी। भाषा के विषय में उन्होंने कहा कि हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगले 20-25 वर्षों में भाषा के स्थान पर सिम्बलस का महत्व अधिक होगा, क्योंकि विश्व स्तर पर एक दूसरे को समझने के लिए सिम्बलस का इस्तेमाल होगा। कम्प्यूटर के युग में समस्त कार्य ऑन लाईन हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हमें यह सोचना है कि हिन्दी की क्या भूमिका होगी। जितना जल्दी हम उस रास्ते पर चलेंगे उतनी जल्दी बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करने में हमें सफलता मिलेगी। माननीय मंत्री जी ने सभी सदस्यों का बैठक में आने के लिए पुनः धन्यवाद किया।

अंत में सबों को धन्यवाद देने के साथ बैठक समाप्त हुई।

अनुलग्नक-I

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की दिनांक 04 जून, 2012 को राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, मुम्बई में आयोजित बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची

	श्री कपिल सिब्बल जी माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री	अध्यक्ष
I	**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**	
1.	श्री अनन्त कुमार सिंह, संयुक्त सचिव (के.वि.वि. एवं भाषाएं), उच्चतर शिक्षा विभाग	सदस्य-सचिव
2.	श्रीमती राधा चौहान, संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	सदस्य
3.	सुश्री राकेश शर्मा संयुक्त निदेशक (राजभाषा), उच्चतर शिक्षा विभाग	सदस्य
II	**गैर सरकारी सदस्य**	
1.	डा. वाई लक्ष्मी प्रसाद, अध्यक्ष, आंध्र प्रदेश हिंदी अकादमी,	सदस्य
2.	डा. राम प्रकाश शर्मा	सदस्य
3.	सैयद हामिद अली	सदस्य
4.	प्रो. निर्मला जैन	सदस्य
5.	प्रो. अनंत राम त्रिपाठी प्रतिनिधि, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा	सदस्य
6.	श्री महेश चन्द्र गुप्त प्रतिनिधि, केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद	सदस्य
III	**विशेष आमंत्रिती**	
7.	श्री अशोक चक्रधर उपाध्यक्ष,केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल	विशेष आमंत्रिती
IV	**सरकारी सदस्य**	
8.	श्री डी. के. पाण्डेय, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय	सदस्य
9.	डा. वेद प्रकाश, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	सदस्य

10.	श्री एम.एस. मंथा, अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	सदस्य
11.	प्रो. विभूति नारायण राय, कुलपति, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय	सदस्य
12.	श्री गया प्रसाद, निदेशक, राष्ट्रीय बाल भवन	सदस्य
13.	प्रो. मोहन, निदेशक, केंद्रीय हिंदी संस्थान	सदस्य
14.	श्री ओ.एन प्रभाकरन अपर आयुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन	सदस्य
15.	डा. वीरा गुप्ता सचिव, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	सदस्य
16.	श्री उदय नारायण खवाड़े, सचिव, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान	सदस्य
17.	प्रो. बी.के. त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद	सदस्य
18.	श्रीमती कुलदीप कौर, उप निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय	सदस्य
19.	श्री उमाकांत खुबालकर, सहायक निदेशक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग	सदस्य